

रहनबाकब्जा ।

मालियत कर्जा -----	/रूपये
स्टाम्प -----	/रूपये
स्टाम्प क्रमांक दिनांक	
स्टाम्प कितात +	+ + +
=	/रूपये

यह रहनबाकब्जा आज दिनांक.....को श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/धर्मपत्नी/विधवा/.....उप्र.....व निवासी.....तहसील.....जिला.....(जिसे आगे रहनकर्ता कहा गया है) एवं जो इस रहनबाकब्जा पत्र का प्रथम पक्षकार है) तथा श्री/श्रीमती/.....पुत्र/पुत्री/धर्मपत्नी/विधवा श्री.....उप्र.....व निवासी.....तहसील.....जिला.....(जिसे आगे बन्धकी/राहिन कहा गया है) एवं जो इस लेख पत्र का द्वितीय पक्षकार है के मध्य निष्पादित किया गया है ।

चूंकि बन्धककर्ता का अपना एक निजी मकान/प्लाट/भवन/दुकान/नर्सिंग होम/फैकट्री/कृषि भूमि जो नगर/गांव में स्थित है जिसकी सीमाएं एवं क्षेत्रफल सलग्न अनुसूचि में दिया गया है और बन्धककर्ता/रहनकर्ता उसका एक मात्र मालिक है तथा सम्बन्धित उक्त जायदाद पर रहनकर्ता का पूर्ण आधिपत्य है ।

और चूंकि बन्धककर्ता को किसी कार्यके लिएरूपयों की आवश्यकता है, जिसे बन्धककर्ता उपरोक्त जायदाद को बन्धकी के पास रहनबाकब्जा रख कर प्राप्त करना चाहता है जिसके लिए बन्धकी भी सहमत है ।

अतः यह लेख पत्र साख्याकिंत करता है कि:-

- यह कि बन्धककर्ता ने बन्धकी से रूपये.....(अक्षरों मेंरूपये) प्राप्त कर लिये है एवं उक्त रकम की अदायगी की जमानत के लिए अपनी उक्त जायदाद मकान/प्लाट/भवन/दुकान/नर्सिंग होम/फैकट्री/कृषि भूमि बन्धकी के पास रहनबाकब्जा रहन कर दी है या रख दी है ।
- यह कि बन्धककर्ता उपरोक्त बन्धक धन पर बन्धकी को कोई ब्याज नहीं देगा तथा बन्धकी सम्बन्धित जमीन/मकान/प्लाट/भवन/दुकान/नर्सिंग होम/फैकट्री/कृषि भूमि आदि का उपयोग आपने ढंग से कर सकेगा यानि कि बन्धककर्ता को ब्याज नहीं देना पड़ेगा तथा बन्धकी को किराया नहीं देना होगा ।
- यह है कि सम्बन्धित उक्त जायदाद को बन्धकी जब तक उपयोग में लेता रहेगा जब तक की बन्धककर्ता बन्धकी को उसका उपरोक्त उधार दिया हुआ मूलधन वापिस नहीं लौटा देता । उपरोक्त मूलधन वापिस लौटाने पर बन्धकी को उपरोक्त जायदाद बन्धककर्ता को वापिस लौटानी होगी ।
- यह कि बन्धककर्ता एवं बन्धकी शब्द में उनके दामाद, उत्तराधिकारी, प्रशासक ओर देशित भी सम्मिलित समझे जायेंगे ।

इस लेख पत्र पर दोनों पक्षकारों ने बिना किसी दबाव के पूर्ण होशे हवाश में निष्पादित दो गवाहो के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

अनुसूची

खेवट/खतौनी/खसरा न.....तादादी.....कनाल.....मरला/विधा.....बिस्वा का ...
.....हिस्सा/मिजरिंग.....कनाल.....मरला/.....विधा.....बिस्वा/.....
.....वर्गगज/.....वर्गमीटर स्थित गांव/शहर.....हदबस्त न.
...तहसील.....जमाबन्दी वर्ष.....।

साक्षीगणः

1

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष बन्धककर्ता/रहन कर्ता

2

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष बन्धकी/राहिन